



भारत में चिकित्सा नैतिकता और उपभोक्ता अधिकार

प्रलिस के लिये:

चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांत, **NCDRC**, **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)**

मेन्स के लिये:

चिकित्सा लापरवाही के नैतिक नहितार्थ, मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **NCDRC** ने जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक उपभोक्ता से संबंधित मामले में लगाया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा निर्मित दोषपूर्ण हपि रपिलेसमेंट ड्रिग्स से रोगी को चिकित्सा संबंधी जटिलताएँ हुई थीं।

- इससे चिकित्सा नैतिकता और प्रोटोकॉल के सख्त पालन की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

नोट:

हपि रपिलेसमेंट सर्जरी (**हपि आर्थ्रोप्लास्टी**) का उद्देश्य दर्द से राहत देना, कूलहे के जोड़ की कार्यक्षमता में सुधार करना तथा रोगियों को बेहतर ढंग से चलने में मदद करना है।

- हपि प्रत्यारोपण का उपयोग **गठिया या एवैस्कुलर नेक्रोसिस** जैसी स्थितियों के कारण कूलहे में होने वाले दर्द और अकड़न को कम करने के लिये किया जाता है।
 - ये प्रत्यारोपण उपकरण विभिन्न सामग्रियों से बनाए जाते हैं जिनमें **धातु, सरिमिक और प्लास्टिक शामिल हैं**, बॉल अक्सर कोबाल्ट-क्रोमियम मिश्र धातु या सरिमिक से बनी होती है और स्टेम अमतौर पर टाइटेनियम या कोबाल्ट-क्रोमियम मिश्र धातु से बना होता है।

चिकित्सा पद्धतियों में नैतिकता से किस प्रकार निर्देशन मिलता है?

- **चिकित्सा नैतिकता:** चिकित्सा नैतिकता का आशय **मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सही आचरण करना है तथा इससे** किसी संस्कृति में किसी नैतिकता के समय पर क्या सही या गलत माना जाता है, के बीच अंतर करने में सहायता मिलती है।
 - यह **डॉक्टरों, अस्पतालों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और मरीजों के प्रति दायित्वों से संबंधित है।**
 - चिकित्सा पद्धतियों में नैतिक सिद्धांत मौलिक होते हैं तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के कार्यों का मार्गदर्शन करने में अक्सर अधिक दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
- **चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांत:**
 - **स्वायत्तता का सम्मान:** उचित सूचित सहमति प्राप्त करके अपने उपचार के संबंध में सूचित विकल्प के संबंध में रोगी के अधिकार को स्वीकार करना।
 - **परोपकार:** इसमें संपूर्ण शल्य प्रक्रिया के दौरान रोगी के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना तथा उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करना शामिल है।
 - **अहतिकर व्यवहार:** एक चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ता कंपनी को मरीजों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा देखभाल मिले। इसके साथ ही उन्हें ऐसे किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य से बचना चाहिये जिससे रोगी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से वंचित हो सकते हैं।

- न्याय: इसमें सभी रोगियों के साथ नष्टिपक्ष और समान व्यवहार करना शामिल है चाहे उनका धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।
- हृपिपोकरेटकि ओथ/शपथ: हृपिपोकरेटकि ओथ नव सनातक चकितिसा पेशेवरों के लयि एक मौलकि सदिधांत है। आचार संहति का पालन करने के संबंघ में इसको दीकषांत समारोहों के दौरान लयिा जाता है।
 - इसमें भारतीय चकितिसा परषिद (व्यावसायकि आचरण, शषिटाचार और नैतकिता) वनियि 2002 के तहत नरिधारति सदिधांत शामिल है जो मानवता की सेवा करने, चकितिसा कानूनों का पालन करने, जीवन का सम्मान करने, रोगी कल्याण को प्राथमकिता देने, गोपनीयता बनाए रखने तथा शकिषकों के प्रतकिृतजजता वयकृत करने पर केंदरति है।
 - यह शपथ एक नैतकि दशिानरिदेश के रूप में कार्य करती है तथा चकितिसकों को चकितिसा पेशे की प्रतषिठति परंपराओं और नैतकि मानकों को बनाए रखने में मार्गदर्शन करती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता वविाद नविरण आयोग (NCDRC) क्या है?

परचिय:

- राष्ट्रीय उपभोक्ता वविाद नविरण आयोग (NCDRC) एक अरद्ध-न्यायकि नकिय है जसि वरष 1988 में [उपभोक्ता संरक्षण अधनियि \(CPA\), 1986](#) के तहत स्थापति कयिा गया था।
- NCDRC का उददेश्य उपभोक्ता वविादों का सस्ता, शीघर और सुलभ समाधान सुनशिचति करना है।
- NCDRC का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा कयिा जाता है।

CPA, 1986 के प्रावधान:

- अधिकार कषेत्र: CPA, 1986 की धारा 21 के तहत NCDRC को 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शकियतों पर वचिर करने का अधिकार मलिता है।
 - इसके अतरकिक्त इसे राज्य आयोगों और ज़लिा फोरमों द्वारा जारी आदेशों पर अपीलीय एवं पुनरीक्षण कषेत्राधिकार भी प्राप्त है।
- अपीलीय प्राधिकारी: यद कि कोई उपभोक्ता ज़लिा फोरम द्वारा लयिा गए नरिणय से असंतुषट है तो वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है।
 - इसके बाद भी यद कि उपभोक्ता राज्य आयोग के नरिणय से असंतुषट है तो वह संबंघति मामले को NCDRC के समक्ष उठा सकता है।
 - इस अधनियि की धारा 23 के अनुसार NCDRC के नरिणय से असंतुषट कोई भी वयकृत 30 दिनों के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- कवरेज का दायरा: इस अधनियि के प्रावधानों में 'वस्तुएँ' और 'सेवाएँ' दोनों शामिल हैं।
- उपभोक्ता मंच:
 - उपभोक्ता [संरक्षण अधनियि \(CPA\), 2019](#) में प्रावधान है कि दावे के मूल्य के आधार पर ज़लिा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शकियतें दर्ज की जा सकती हैं।
 - ज़लिा उपभोक्ता वविाद नविरण आयोग (DCDRC): 50 लाख रुपए तक के दावों के लयि।
 - राज्य उपभोक्ता वविाद नविरण आयोग (SCDRC): 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के दावों के लयि।
 - राष्ट्रीय उपभोक्ता वविाद नविरण आयोग (NCDRC): 2 करोड़ रुपए से अधिक के दावों के लयि।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):

- CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधनियि (CPA), 2019 की धारा 10 के तहत स्थापति नयिामक नकिय है, यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचति व्यापार प्रथाओं से संबंघति मामलों को नरिंतरति करता है।
- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनकि वतिरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- CCPA की शकतयिाँ:
 - उपभोक्ता अधिकार: एक समूह के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करना।
 - अनुचति व्यापार व्यवहार: वयकतयिाँ को अनुचति व्यापार व्यवहार में संलग्न होने से रोकता है।
 - वजिज्ञापन वनियिमन: CPA, 2019 की धारा 21 CCPA को झूठे या भ्रामक वजिज्ञापनों के वरिद्ध नरिदेश और दंड जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

भारत में चकितिसा नैतकिता के मुद्दे क्या हैं?

- सूचति सहमतति: प्रायः रोगयिों से अपर्याप्त या कोई सूचति सहमतति प्राप्त नहीं होती है, वशिष रूप से कमज़ोर आबादी वाले नैदानकि परीक्षणों में।
 - उदाहरण: वशिष के वभिनिन हसिसों में कयिा गए [कोवडि-19](#) वैक्सीन परीक्षणों को लेकर वविाद।
- रोगी की गोपनीयता: रोगी के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनशिचति करने के लयि उपायों का अभाव है।
 - उदाहरण: वरष 2023 में [ESIC डेटाबेस के एक महत्त्वपूर्ण डेटा उल्लंघन](#) ने लाखों रोगयिों की वयकतगित स्वास्थय जानकारी को उज़ागर कर दयिा, जसिमें आधार संख्या, चकितिसा इतिहास और संपर्क वविरण जैसे संवेदनशील डेटा शामिल थे।

- **हर्तियों का टकराव:** ऐसे मामले सामने आते हैं, जहाँ चिकित्सा पेशेवरों की उनके द्वारा अनुशंसित **उपचारों या प्रक्रियाओं में वित्तीय भागीदारी** होती है।
 - वर्ष 2023 में दलिली के एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ का एक स्टैंट निर्माण कंपनी के साथ वित्तीय संबंध पाया गया, जिस परामर्श और इक्विटी हस्सिसेदारी रखने पर पर्याप्त भुगतान प्राप्त हुआ था।
- **डॉक्टर-रोगी विश्वास: स्वास्थ्य सेवा के व्यावसायीकरण और पारदर्शिता की कमी के कारण** डॉक्टरों और मरीजों के बीच विश्वास में कमी आई है।
 - **उदाहरण:** सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर नज़िी तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, जो मरीजों से मनमानी फीस वसूलते हैं।
- **नियामक नरीक्षण:** नैतिक दशा-नरिदेशों के सुभेद्य प्रवर्तन और अनुपालन के परणामस्वरूप नैदानिक परीक्षणों और रोगी की देखभाल में दुरुपयोग होता है।

उपभोक्ता संरक्षण संबंधित पहलें

- [उपभोक्ता कल्याण कोष](#)
- [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद](#)
- [उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021](#)
- [उपभोक्ता संरक्षण \(ई-कॉमर्स\) नियम, 2020](#)
- [राष्ट्रीय उपभोक्ता दविस](#)

आगे की राह

- **स्वास्थ्य देखभाल में नैतिक जागरूकता उत्पन्न करना:** नैतिक सदिधांतों और उनके व्यावहारिक अनुपरयोगों पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को शक्ति करने के लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ लागू करना।
- नैतिक दुवधाओं पर चर्चा को सुवधाजनक बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के भीतखुले संवाद और पारदर्शिता की संस्कृति को प्रोत्साहति करना।
- **संरचित संचार प्रोटोकॉल: SBAR (परस्थिति-पृष्ठभूमि-मूल्यांकन-सफारशि) तकनीक** जैसे संरचित संचार प्रोटोकॉल को लागू करने से स्पष्टता में सुधार होने के साथ त्रुटियों में कमी आ सकती है।
 - सूचित सहमति सुनिश्चित करने में प्रक्रिया, जोखिम, लाभ और वकिलपों के संबंध में वसितृत व्याख्या के साथ-साथ समझ का सत्यापन भी शामिल है।
- **नविरण तंत्र को मज़बूत करना:** सरकार [सार्वजनिक-नज़िी भागीदारी \(PPP\)](#) मॉडल के माध्यम से [वैकल्पिक वविद समाधान \(ADR\)](#) और [ऑनलाइन वविद समाधान \(ODR\)](#) की मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करके **उपभोक्ता शकियत समाधान को बढ़ा सकती है।**
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता लोक न्यायालय हेल्पलाइन का नरिमाण:** एक तकनीक-सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता लोक न्यायालय हेल्पलाइन शकियतकर्त्ताओं, कपनयियों और कानूनी अधिकारियों के बीच संचार की सुवधा प्रदान कर सकती है, जिससे त्वरति समाधान सुनिश्चित हो सके।

???????? ???? ???? ???? ????:

Q. चकित्सा नैतिकता क्या है? विशेष रूप से भारत में रोगी-चकित्सक संबंधों के बगिड़ते स्वरूप में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

???????????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न 1. भारत में कानून के प्रावधानों के तहत 'उपभोक्ताओं' के अधिकारों/वशिषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012)

1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिये नमूने लेने का अधिकार है।
2. जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शकियत दर्ज कराता है तो कोई शुल्क नहीं देना होता है।
3. उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शकियत दर्ज करा सकता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/medical-ethics-and-consumer-rights-in-india>

